



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122022-240799
CG-DL-E-03122022-240799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5397]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2022/अग्राहायण 11, 1944

No. 5397]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 2, 2022/AGRAHAYANA 11, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5629(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नाटक राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-206 और NH-766C के (चौड़ाई/चार-लेन, आदि) रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-206 और NH-766C के भूमि अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	असिस्टेंट कमिश्नर सागर सब - डिविजन सागर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH206 के	कर्नाटक	शिवमोग्गा	सागर	1 तालगुप्पा

		कि.मी. 296.2 से 299.1 तक				2 मारथुरु
2	असिस्टेंट कमिश्नर सागर सब-डिविजन सागर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH206 के कि.मी. 261.4 से 262.7 तक	कर्नाटक	शिवमोग्गा	सागर	1 होसुर गांव 2 मुंबालु
3	असिस्टेंट कमिश्नर सागर सब-डिविजन सागर	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH766C के कि.मी. 113.38 से 115.44 तक	कर्नाटक	शिवमोग्गा	सागर	1 मालंदुर 2 यादहल्ली

[फा. सं. RW/NH-206-&766C-KNT-2021-22-924]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2022

S.O. 5629(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for (widening / four - laning, etc.), maintenace, management and operation of the National Highway No NH-206 & NH-766C in the State of KARNATAKA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-206 & NH-766C in the State of KARNATAKA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Assistant Commissioner Sagar Sub-Division Sagar	296.2KM To 299.1KM	KARNATAKA	SHIVAMOGGA	Sagar	1 Thalaguppa 2 Maratthuru
2	Assistant Commissioner Sagar Sub-Division, Sagar	261.4KM To 262.7KM	KARNATAKA	SHIVAMOGGA	Sagar	1 Hosur village 2 Mumbalu

3	Assistant Commissioner Sagar Sub- Division, Sagar	113.38KM To 115.44KM	KARNATAKA	SHIVAMOGGA	Sagar	<table><tr><td>1</td><td>Malanduru</td></tr><tr><td>2</td><td>Yadehalli</td></tr></table>	1	Malanduru	2	Yadehalli
1	Malanduru									
2	Yadehalli									

[F. No. RW/NH-206-&766C-KNT-2021-22-924]

RAJESH GUPTA, Director